सं0: 1978/15-17-96-70(61)/96

प्रेषक,

डा0 एस0डी0 तिवारी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

अनुभाग-17

लखनऊ दिनांक: 19-6-1996

विषय: उन्नाव, महरौनी-ललितपुर, महिला झाँसी, समथर-झाँसी, कप्तान गंज-बस्ती, महिला बरेली, बिल्सी-बदायूँ, महिला बिन्दकी-फतेहपुर, युसुफपुर-गाजीपुर में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 1996-97 में राजकीय महाविद्यालय, उन्नाव, राजकीय महाविद्यालय, महरौनी-ललितपुर, राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी, राजकीय महाविद्यालय, समथर-झाँसी, राजकीय महाविद्यालय, कप्तानगंज-बस्ती, राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली, राजकीय महाविद्यालय, बिल्सी-बदायूँ, राजकीय महिला महाविद्यालय, बिन्दकी-फतेहपुर, राजकीय महाविद्यालय, युसुफपुर-गाजीपुर को प्रारम्भ करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं एवं इस हेतु संलग्नक में उल्लिखित अस्थायी पदों को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पदों पर नियुक्ति/तैनाती की तिथि जो भी बाद में हो, दिनांक 28 फरवरी, 1997 तक अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि ये पद इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं ।

2- उक्त पद अपने सम्बन्धित संवर्ग के अस्थायी वृद्धि के रूप माने जायेंगे । इन पद धारकों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्ते जो अनुमन्य होंगे, देय होंगे ।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उक्त महाविद्यालयों को संलग्नक के अनुसार सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में वेतनादि मद में रू0 24.50 लाख व रू0 14.40 लाख की धनराशि अनावर्तक मद में कुल रूपया 38.90 लाख वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

-2/-

4. चूँकि यह व्यय आवश्यक एवं अपरिहार्य है तथा इस हेतु आय व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है। अतएव राज्यपाल महोदय ने 38.90 लाख (रुपये अड़तीस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि को आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि से अपेक्षित मदों का क्रय मानकों के आधार पर स्टोर पर्चेज नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय 1996-97 के आय व्ययक के प्रथमतः 8000-आकस्मिकता निधि के नामे डाला जायेगा और अन्ततः अनुदान संख्या 73 के लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय कालेज तथा संस्थान-(1) नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना" के अन्तर्गत सुसंगत मानक मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

डा० (एस०डी० तिवारी)
विशेष कार्याधिकारी।

पृ०सं०-रा०आ०नि० सं०/38/x-96 तद् दिनांक

प्रतिलिपि - महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(प्रेम प्रकाश वैरिया)
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या-1978(1)/15-17-96-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी ।

2- सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ।

3- सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य ।

4- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

5- वित्त ई-11/नियोजन अनुभाग-4, शिक्षा अनुभाग-15

6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 तीन प्रतियों में ।

7- गार्ड फाइल ।

8- निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा ।

9- सहायक-निदेशक (उच्च शिक्षा), शिविर कार्यालय, 8-ए, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(एस0 डी0 तिवारी)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या-2114/सत्तर-5-2001-40(145)/93

प्रेषक,

जगदीश लाल श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,उ0प्र0,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2001

विषय :- राजकीय महिला महाविद्यालय,झाँसी में कला संकाय में स्नातक स्तर पर संस्कृत तथा शिक्षा शास्त्र विषय के पदों का सृजन।

— 0 —

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डिग्री प्लान-957/2001-2002, दिनांक 31 अगस्त, 2001 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2001-2002 में उपर्युक्त महिला महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संस्कृत तथा शिक्षा शास्त्र विषय की कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु संलग्नक में उल्लिखित अस्थायी पदों को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पदों पर नियुक्ति/तैनाती की तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 28 फरवरी, 2002 तक अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि यह पद इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें।

उक्त पद अपने सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे। इन पद धारकों को समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत भत्ते जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त महाविद्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु संलग्नक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2001-2002 में रु0-1.22 लाख (रुपये एक लाख बाइस हजार मात्र) से अनधिक के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-73 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा- 103- राजकीय कालेज तथा संस्थान-04- वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश " योजना से वहन किया जायेगा।

---2

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1923/दस-2001, दिनांक 20 अक्टूबर, 2001 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,

(जगदीश लाल श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या-2111(1)/सत्तर-5-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
3- प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, झाँसी।
4- वित्त नियंत्रक, उ0शि0 निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- वित्त (ई-11)/उच्च शिक्षा अनुभाग-4
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जगदीश लाल श्रीवास्तव)
उप सचिव।